DESHKAL SOCIETY

वासभूमि का हक़

त्रैमासिक बुलेटिन अक्टूबर–दिसम्बर 2013

बिहार महादलित विकास योजनांतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संकल्प

विषय: बिहार महादलित विकास योजनांतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति।

राज्य के गृहविहीन महादलित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्प है। इस संकल्प को मूर्त्तरूप देने के लिए महादलित विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के गृहविहीन महादलित परिवारों को प्रति परिवार तीन डिसमिल की दर से भूमि उपलब्ध कराई जाए।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा वर्ष 2008-09 तथा उसके पश्चात कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वास-रहित महादलित परिवारों की संख्या 7 दिसंबर 2009 तक 2,16,829 है। इन आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना सरकार का एक दायित्व है।

सरकार की नीति के तहत सर्वप्रथम सरकारी भूमि की बंदोबस्ती महादलित परिवारों के साथ की जाएगी तथा यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो प्रति परिवार 3 डिसमिल की दर से रैयती भूमि का क्रय कर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उपलब्ध सरकारी भूमि की बंदोबस्ती से राज्य के सभी गृहविहीन महादलित परिवारों को आच्छादित नहीं किया जा सकता है। वर्णित स्थिति में कुल 78,493 महादलित परिवारों के वास हेतु 2354.79 एकड़ रैयती भूमि चिह्नित की गई है। संप्रति सरकार द्वारा उक्त रैयती भूमि के क्रय करने की योजना है।

2. **क्रय प्रक्रिया के लाभ**– 7 दिसंबर 2009 तक सर्वेक्षण द्वारा चिह्नित सरकारी भूमि तथा उस भूमि से आच्छादित किए जाने वाले परिवारों के आंकड़े निम्नलिखित हैं –

क्र. सं.	सरकारी भूमि की कोटि	चिह्नित रकबा	आच्छादित किए जाने वाले परिवारों की संख्या
(क)	गैर-मजरूआ आम	1,153.9960	37,328
(ख)	गैर-मजरूआ खास/मालिक	1,818.59	68,997
		2,972.586	1,06,325

कुल 78,493 महादलित परिवारों के आवासन के लिए कुल 2,354.79 एकड़ रैयती भूमि चिह्नित की गई है, जिसका लोक निधि से क्रय किया जाएगा।

प्रस्तावित क्रय से निम्नांकित लाभ परिकल्पित हैं –

(i) लाभुक या लाभुकों का समूह अपनी इच्छा, अभिरुचि एवं आवश्यकता के अनुसार भूमि का चयन कर सकेगा जिसमें क्रेता-विक्रेता दोनों की रजामंदी रहेगी।

(ii) त्वरित रूप से प्रश्नगत भूमि विक्रेता द्वारा क्रेता को अंतरित की जा सकेगी।

(iii) जहां तीस या तीस से अधिक परिवार सामूहिक रूप से वांछित मात्रा में भूमि चिह्नित करके क्रय करेंगे वहां संकुल निर्माण एवं परिसर विकास का पथ प्रशस्त होगा।

(iv) परस्पर सहमति से क्रय-विक्रय की व्यवस्था से क्रयोपरांत क्रेता की दखल-दिहानी सुगम होगी।

स्पष्टीकरण (नीति कंडिका 1 तथा 2) – सरकार के निर्णयानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, के ज्ञापांक-5613 दिनांक- 18.11.2009 के द्वारा 'चमार' दलित

जाति को महादलित श्रेणी में समाविष्ट किया गया है। राज्य में इस महादलित जाति का पारिवारिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों तथा आंकड़ों के आलोक में वास-रहित 'चमार' महादलित जाति के लिए भी सरकारी/रैयती भूमि चिह्नित की जाएगी।

नीति कंडिका 1 तथा 2 में उल्लिखित पूर्वोक्त आंकड़े एक कालविंदु विशेष तक सर्वेक्षण निष्कर्षों को प्रतिबिंबित करते हैं। चूंकि पारिवारिक एवं सरकारी/रैयती भूमि की शिनाख्त एक सतत प्रक्रिया है, अतएव कालक्रम में इनमें अपेक्षित संशोधन की गुंजाइश रहेगी।

समग्र रूप में विभिन्न महादलित परिवारों के लिए चिह्नित हो चुकी या भविष्य में चिह्नित होने वाली रैयती भूमि का लोक निधि से क्रय किया जाएगा।

3. खासमहाल हस्तक के अंतर्गत सरकार के स्तर से रैयती भूमि के क्रय का प्रावधान – इस परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार खासमहाल हस्तक, 1953 का नियम- 2 (2) द्रष्टव्य है जिसके अनुसार सरकार निजी अनुबंध से क्रय कर भू-संपदा अर्जित कर सकती है। धारा-2 का उद्धरण निम्नवत है –

सरकार अचल भू-संपत्ति कैसे अधिग्रहित करे: सरकार अग्रलिखित तरीके से अचल भू-संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है:

1. राजस्व बिक्री से खरीद (1859 के अधिनियम XI के खंड 58)
2. निजी संविदा के द्वारा खरीद।
3. कानूनी उत्तराधिकारियों के अभाव में जायदाद की जब्ती।
4. राज्य के खिलाफ खास अपराध के लिए सरकार द्वारा जब्ती।
5. द्वीपीय जमीन का पुनर्ग्रहण (1825 के नियम XI)
6. सार्वजनिक उद्देश्य से अधिग्रहित।
7. सरकार की परिसंपत्ति, अचल भू-संपत्ति की बढ़ती।
8. पुलिस के कर्तव्य के निर्वहन के लिए अब तक जमींदारों के कब्जे में रही जमीन का पुनर्ग्रहण, जब वे अपने कर्त्तव्य से मुक्त कर दिए गए हों।

4. अत: महादलित विकास योजना के तहत भूमिहीन महादलित परिवारों के आवासन हेतु बिहार सरकार खासमहाल हस्तक, 1953 के नियम - 2 (2) के तहत रैयती भूमि का क्रय कर लाभुकों के साथ बंदोबस्त करने का प्रस्ताव है।

5. (क) निबंधन हेतु रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं विक्रेता को भुगतान – निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राक्कलित बाजार मूल्य तथा उसमें उक्त न्यूनतम प्राक्कलित बाजार मूल्य की 50% राशि को जोड़कर प्रश्नगत रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा भू-स्वामी विक्रेता को उसका भुगतान किया जाएगा।

(ख) वास-रहित महादलित परिवार को वास-हेतु 3 (तीन) डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम राशि 20,000/ (बीस हजार रुपये) प्रति तीन डिसमिल भूमि प्रति परिवार होगी।

(ग) वैसे वास-रहित महादलित परिवार, जो बीपीएल (BPL) श्रेणी में आते हैं, उन्हें वास-भूमि क्रय हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत 5,000/- 5,000/- रुपये कुल 10,000/- रुपये प्रति परिवार राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष राशि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु किसी भी परिस्थिति में इंदिरा आवास योजनांतर्गत कुल राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंशदान सहित कुल राशि निर्धारित अधिसीमा 20,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

(घ) वैसे वास-रहित महादलित परिवार, जो एपीएल (APL) श्रेणी में आते हैं, उन्हें 3 डिसमिल भूमि प्रति परिवार क्रय हेतु संपूर्ण राशि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित अधिसीमा 20,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

6. भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था:

(क) महादलित परिवारों के आवासन हेतु आवश्यक निधि योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में इस मद में किए गए बजट उपबंध के आलोक में किस-किस जिले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए तथा उस जिले को कितनी राशि आवंटित की जाए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग इसकी अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से करेगा। तदनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उस जिले को राशि आवंटित करेगा।

(ग) वास-रहित महादलित परिवारों को वास के लिए तीन डिसमिल प्रति परिवार रैयती भूमि क्रय-हेतु व्यय किए जाने वाली राशि के लिए मुख्य शीर्ष 2225 के अधीन एक अलग उपशीर्ष खोला जाएगा। राज्य योजना से राशि

के व्यय-हेतु उद्व्यय प्राप्त की जाएगी। वास-रहित परिवारों के लिए भूमि क्रय-हेतु राशि की निकासी समेकित निधि से कर विभिन्न जिलों के अंचलाधिकारी को व्यय-हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का व्यय तुरंत नहीं हो सकने की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा उक्त राशि की निकासी कर मुख्यशीर्ष 8443 सिविल जमा राशियां उप मुख्यशीर्ष - 00, लघुशीर्ष - 101, राजस्व जमा, उपशीर्ष - 0001 राजस्व जमा'' में विपत्र कोड - K8443001010001 अंकित कर जमा की जाएगी तथा आवश्यकता के आधार पर इसी शीर्ष से राशि की निकासी विपत्र कोड - L8443001010001 से की जाएगी।

(घ) अंचल अधिकारी चयनित विभाग के लिए विक्रेताओं को भूमि क्रय का मूल्य बैंक चेक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आवंटन से निम्नांकित कार्य अनुमान्य होंगे –

- (i) भूमि के यथा-पूर्वोक्त निर्धारित मूल्य का भुगतान।
- (ii) सेल डीड राइटर्स को निबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान।
- (iii) अंचल अधिकारी द्वारा नियोजित अमीनों का भुगतान।
- (iv) जब तक बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा - 26 (I) (ii) के अंतर्गत देय जमींदारी शुल्क (Land Lord's fees) के विमुक्ति के संबंध में निर्णय नहीं होता है जबतक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त आवंटन से इसका भुगतान किया जाएगा।
- (v) कार्य संपादन हेतु आकस्मिक मद में तथा दस्तावेजों के स्कैनिंग (Scanning) पर होने वाला व्यय भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस योजना के तहत आवंटित राशि से अनुमान्य होगा।

7. **भूमि क्रय हेतु मुद्रांक भुगतान से छूट** – भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-29 (ब) के अनुसार हस्तांतरण पत्र (Conveyance) के मामले में हस्तांतरिती (Grantee) को मुद्रांक डयूटी भुगतान करना है। वर्तमान मामले में प्रथम संव्यवहार में सरकार भूमि क्रय कर रही है। तथापि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-3 के द्वितीय परंतुक के खंड (1) के अनुसार सरकार के द्वारा या सरकार के पक्ष में निष्पादित किसी भी लिखित पर मुद्रांक डयूटी देय नहीं होगा। तदनुसार इस नीति के तहत रैयती भूमि क्रय करने पर सरकार के पक्ष में निष्पादित लिखित पर मुद्रांक डयूटी सरकार पर प्रभार्य नहीं होगा।

नोट: (i) बिहार मुद्रांक नियमावली, 1954 के परिशिष्ट (VIII) में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अधीन दी गई विमुक्तियों (Exemptions) की सूची के भाग-II (खंड E) के क्रमांक 16 के अनुसार किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा हस्तांतरित (Granted) की गई भूमि के हस्तांतरण पत्र (Conveyance) से संबंधित लिखित को स्टांप डयूटी की देयता से विमुक्त किया गया है।

(ii) एस. ओ. - 900 दिनांक - 18.12.1990 द्वारा प्रकाशित निबंधन शुल्क तालिका में वर्णित विमुक्तियों की कंडिका (1) के अनुसार सरकार के द्वारा या सरकार के पक्ष में निष्पादित ऐसे विलेखों पर जिनमें मुद्रांक ड्युटी देय नहीं हो, निबंधन शुल्क भी विमुक्त रहेगा।

(iii) उपर्युक्त लिखत/विलेखों को कंप्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था के अंतर्गत जिला स्कोर द्वारा प्रभार्य सेवा शुल्क से विमुक्त किया जाता है।

8. **प्रति परिवार भूमि क्रय की अधिसीमा एवं अवस्थिति** – सरकार द्वारा अधिकतम 3 डिसमिल प्रति परिवार के अनुसार भूमि क्रय कर उस भूमि को उसी सेल डीड के द्वारा लाभुक के साथ बंदोबस्त किया जाएगा। उपर्युक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित होगी।

9. **मानक सेल डीड में निबंधन** – परिशिष्ट - 1 पर संलग्न मानक सेल डीड (Standard sale deed) में भूमि का निबंधन किया जाएगा।

10. **लाभुक की अवस्थिति** - लाभुक उसी मौजा या निकटवर्ती मौजों का बाशिंदा होना चाहिए।

11. **क्रय भूमि की बंदोबस्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण** – इस योजना के तहत क्रय की गई शत प्रतिशत भूमि संबंधित लाभुक परिवारों की महिलाओं के साथ बंदोबस्त की जाएगी। यदि लाभुक के परिवार में महिला नहीं हो तो पुरुष के साथ भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी।

12. **क्रय की गई भूमि के अंतरण पर रोक** – लाभुक या उसके उत्तराधिकारी द्वारा क्रय की गई भूमि का किसी प्रकार से

अंतरण नहीं किया जा सकता है। परंतु इस नीति के अंतर्गत क्रय की गई भूमि लाभुक के उत्तराधिकारियों को आनुवंशिक रूप से प्राप्तव्य (heritable) होगी।

13. **क्रय की गई भूमि का उपयोग** – लाभुक एवं उसके उत्तराधिकारी द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग मूलतः आवासीय प्रयोजन से किया जाएगा। तथापि, एकल आय संकुल पारिवारिक आवासन में भूमि के आवासीय उपयोग के बाद, उपलब्ध रिक्त भूमि पर लाभुक / लाभुकों के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु वाणिज्य-व्यवसाय, फलदार या अन्य वृक्षारोपण, सब्जी, मसालों आदि की खेती, पशुपालन, सरकार द्वारा सृजित सामुदायिक हित की संरचना का निर्माण आदि अनुमान्य होंगे।

14. **क्रय की गई भूमि से संबंधित सूचना का संचारण** – अंचल अधिकारी एक अलग पंजी में इस योजना के तहत क्रय की गई भूमि से संबंधित संपूर्ण विवरणी मौजावार संधारित करेंगे तथा उसकी एक प्रति जिला कार्यालय में भी संधारित की जाएगी।

15. **क्रय की गई भूमि के दस्तावेजों एवं रोकड़-बही का संचारण** – दस्तावेजों, रोकड़-बही आदि की मूल प्रति अंचल कार्यालय में संधारित होगी तथा सुरक्षा प्रयोजन से उसकी दूसरी प्रति भूमि-सुधार उप-समाहर्त्ता के कार्यालय में स्कैन (Scan) करके संधारित की जाएगी। इस कार्य के संपादन हेतु आकस्मिक मद में संभावित व्यय भी राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग द्वारा योजना के तहत आवंटित राशि से अनुमान्य होगा।

16. **क्रय की गई भूमि का संरक्षण एवं लाभुकों के हितों की रक्षा** – महादलित योजना के तहत वास-रहित महादलित परिवार के वास-हेतु क्रय की गई भूमि के संरक्षण एवं लाभुक के हितों के रक्षा का दायित्व संबंधित भूमि-सुधार उप-समाहर्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रश्नगत भूमि अवस्थित होगी, का होगा।

17. **लाभुक के सहायता-दाता (Facilitator) के रूप में अंचलाधिकारी के दायित्व** –

(i) लाभुक द्वारा प्रश्नगत भूमि (3 डिसमिल) की तलाश करने में अंचलाधिकारी सहायता-दाता (Facilitator) की भूमिका का निर्वहन करेंगे।

(ii) अंचलाधिकारी अंचलों में संधारित सर्वेक्षित भूमिहीन महादलित परिवारों की सूची के आलोक में उन्हें इस आशय की सूचना भेजेंगे कि सरकारी लागत पर उन्हें प्रति परिवार 3 डिसमिल की दर से वासगीत प्रयोजन से रैयती भूमि निबंधन विभाग द्वारा निबंधन-हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राक्कलित बाजार मूल्य तथा उसमें उक्त मूल्य की 50% राशि जोड़कर भुगतान करते हुए सरकार द्वारा क्रय करके उपलब्ध कराई जाएगी। अतः वे संभावित विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर भूमि तथा विक्रेता की पहचान करेंगे एवं पहचानोपरांत अंचल कार्यालय में इस प्रयोजन से गठित विशेष कोषांग में भूमि तथा विक्रेता की उपलब्ध विवरणी उपलब्ध कराएंगे।

(iii) अंचलाधिकारी प्रयास करेंगे कि क्रय की जानेवाली भूमि चयन संकुल (cluster) के रूप में हो ताकि संकुल परिसर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग अन्य सुविधाएं मुहैया करा सके। इस हेतु भी वे सहायता-दाता (facilitator) का कार्य करेंगे तथा जहां 30 या अधिक परिवारों का संकुल सृजित होगा, उसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को देंगे।

(iv) प्रश्नगत भू-खंड का चयन लाभुक संप्रति जिस मौजा में निवास कर रहा हो, उसमें अथवा उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र से ही की जाएगी।

(v) भूमि क्रय में राजस्व विभाग द्वारा पूर्व से चिह्नित रैयती भूमि को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि लाभुक या भू-धारी इच्छुक नहीं हो तो लाभुक द्वारा चिह्नित एवं विक्रेता के तय की गई अन्य भूमि का क्रय किया जाएगा।

(vi) यदि लाभुक एक संकुल के रूप में भूमि का क्रय करते हैं तो वहीं महादलित विकास से संबंधित अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जा सकेंगी एवं भू-भाग का आवासीय अंश तदनुसार 3 डिसमिल के अंदर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आवास के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी।

(vii) लाभुकों का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अंचलाधिकारी एक सप्ताह के अंदर अपने राजस्व अभिलेखों से विक्रेता के स्वत्वाधिकार की जांच कर लेंगे तथा स्थलीय जांच में विचारगत भू-खंड पर विक्रेता के दखल का सत्यापन भी कर लेंगे। सही पाए जाने वाले समस्त मामलों का निबंधन अवर निबंधन / निबंधन कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित करके किया जाएगा। शिविर आयोजित करने की सूचना निबंधन कार्यालय एवं बैंकों सहित सभी संबंधित को दी जाएगी।

(viii) अंचलाधिकारी यह प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे जिसमें अंकित रहेगा कि किन-किन राजस्व अभिलेखों के आलोक में विक्रेता का विक्रय अधिकार पाया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र में दखल स्तंभ देकर आवश्यक प्रविष्टि भी की जाएगी। वे यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रश्नगत भूमि का क्रय महादलित विकास योजना के तहत किए जाने के प्रयोजन से उपर्युक्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। प्रमाण-पत्र पूर्वाग्रह-रहित (without prejudice) निर्गत किया जाएगा।

(ix) अंचाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी प्रश्नगत भूमि की खरीद-बिक्री की निर्धारित तिथि को संबंधित निबंधन कार्यालय स्थित शिविर में आवश्यक कागजात के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(x) संबंधित अंचलाधिकारी जमीन की नापी, सीमांकन एवं संबंधित सेल डीड में संलग्न करने के लिए प्रश्नगत भू-खंड का स्केच मैप तैयार करने के लिए अपने स्तर से उपलब्ध स्थानीय जानकारी के अनुसार वांछित संख्या में अमीनों को चिह्नित एवं कार्यरत कराएंगे। प्रत्येक अमीन को रु. 200/- (दो सौ रुपए) प्रति भूखंड (Plot) पारिश्रमिक अनुमान्य होगा।

(xi) अंचलाधिकारी संबंधित विक्रेता से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उन्हें बिक्री का अधिकार है तथा जमीन अवभार मुक्त (encumbrance -free) है।

(xii) अंचलाधिकारी निबंधन कार्यालय से प्रश्नगत भूमि का अवभार मुक्त प्रमाण-पत्र (non-encumbrance certificate) प्राप्त करेंगे।

(xii) निबंधन शिविर के दिन क्रेता एवं विक्रेता की पहचान के लिए पंचायत के वार्ड सदस्य एवं पंच सक्षम होंगे। अगर दोनों में कोई उपलब्ध नहीं रहा तो कोई भी ग्रामवासी उपर्युक्त पहचान कर सकेगा। पहचान की कार्रवाई अभिलेखबद्ध की जाएगी।

(xiii) अंचलाधिकारी विक्रेता को यथा-पूर्वोक्त निर्धारित बाजार मूल्य (Post dated) चेक द्वारा भूमि के निबंधन के दिन भुगतान करेंगे एवं इस दरम्यान दाखिल-खारिज तथा दखल-दिहानी की आवश्यक कार्रवाई पूरी करेंगे।

(xiv) अंचलाधिकारी क्रय-विक्रय शिविर को संबंधित निबंधन कार्यालय में लगाने की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे एवं सभी संबंधित को औपचारिक रूप से सूचित करेंगे।

(xv) सेल डीड के साथ क्रय किए जाने वाले भू-खंड का स्केच मैप भी संलग्न किया जाएगा।

18. अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन – निम्नांकित स्तरों पर महादलित वास-भूमि क्रय-योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं समकालीन मूल्यांकन (Concurrent evaluation) के लिए समितियां गठित की जाएंगी तथा यथावश्यक अनुदेश निर्गत किए जाएंगे।

क्रमांक	स्तर	समिति के गठन का दायित्व एवं अध्यक्षता
1	प्रमंडल	प्रमंडलीय आयुक्त
2	जिला	समाहर्त्ता
3	अनुमंडल	अनुमंडल पदाधिकारी

प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इस नीति के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु समिति में विचार-विमर्श कर आवश्यक कारवाई करेंगे।

19. बिहार महादलित विकास योजनांतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

20. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाए एवं सभी विभागों / विभागाध्यक्षों के बीच परिचालित की जाए।

रा. वित्त विभाग
बिहार राज्यपाल के आदेश से
अनौपचारिक रूप
परामार्शीत
(सी. अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक.................................दिनांक...............................

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी. अशोकवर्धन)

बि.स.मु. (राजस्व एवं भूमि-सुधार) 17-मो. जी.-500-2010-

इस बुलेटिन के लिए पैक्स परियोजना
से आर्थिक सहयोग मिला है।
इसमें व्यक्त किए गए विचार
देशकाल सोसायटी के हैं। इसका संबंध
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
पैक्स से नहीं है।

देशकाल सोसायटी

205 द्वितीय तल, इन्द्रा विहार दिल्ली-110 009

टेली फैक्स : 011-2765 4895

E-mail : deshkal@gmail.com

Website : www.deshkalindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय

नूतन नगर, न्यू एरिया, गया, बिहार

फोन : 0631-2220539